



मि0न0 - 05/2021(2021/00017)

अनवान :-

1. संदीप चौधरी पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
2. अनिल पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. हंसराज पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपरिस्थिति :- श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी
श्री मनीष अग्रवाल प्रतिवादीगण

निर्णय


दिनांक: 03/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा ग्राम गुंजासरी के वर्तमान खाता संख्या 78/80 के खसरा न0 10 की 5.692 है0, खसरा न0 19/1 की 5.629 है0, खसरा न0 73/2 की 2.366 है0, खसरा न0 112/2 की 1.518 है0 कुल खसरा 4 की कुल 15.205 हैक्टेयर बाराणी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हंसराज के नाम 3.567 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु हैं तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा सुरजाराम की खातेदारी हुआ करती थी। सुरजाराम से विरासतन वादभूमि जो प्रतिवादी हंसराज ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी हंसराज ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी हंसराज के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हंसराज को वादीगण के दादा सुरजाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। चालू जमाबन्दी ग्राम गुंजासरी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 78/80 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में वादी संदीप चौधरी पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी ग्राम गुंजासरी सम्वत २०७३-७६ खाता संख्या ७८/८० प्रदर्श १, जमाबन्दी ग्राम डूंगराना सम्वत २०७१-७४ खाता संख्या १८२/१७९ प्रदर्श २, सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श ३ प्रदर्शित करवायें।


बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया कि ग्राम डूंगराना के खाता संख्या १८२/१७९ की कुल ३.८७० हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या १ हंसराज के नाम १/३ हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी हंसराज स्वयं अपने नाम रखना चाहता है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा ग्राम गुंजासरी के वर्तमान खाता संख्या ७८/८० के खसरा न० १० की ५.६९२ है०, खसरा न० १९/१ की ५.६२९ है०, खसरा न० ७३/२ की २.३६६ है०, खसरा न० ११२/२ की १.५१८ है० कुल खसरा ४ की कुल १५.२०५ हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या १ रणसिंह के नाम ३.२८९ हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम गुंजासरी के वर्तमान खाता संख्या ७८/८० के खसरा न० १० की ५.६९२ है०, खसरा न० १९/१ की ५.६२९ है०, खसरा न० ७३/२ की २.३६६ है०, खसरा न० ११२/२ की १.५१८ है० कुल खसरा ४ की कुल १५.२०५ हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या १ हंसराज के नाम ३.५६७ हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी संख्या १ का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या १ संदीप चौधरी व वादी संख्या २ अनिल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या १ द्वारा वादीगण के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ०३/०३/२०२१ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़